बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0– EST-265/7/2026-SEC_2-2823/ पटना, दिनांक–.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(3)(ख) के तहत अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–18.03.2026 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के कंडिका–3 से 11 में निहित शर्तो के साथ श्री चन्द्रमा राय, सेवानिवृत कार्यालय परिचारी, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संविदा के आधार पर कार्यालय परिचारी के पद पर नियोजित करते हुये, उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृति की तिथि	नियोजन का विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	श्री चन्द्रमा राय	कार्यालय परिचारी	22-01-1966	31-01-2026	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना

2. श्री चन्द्रमा राय का यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3. श्री चन्द्रमा राय द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वास्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. श्री चन्द्रमा राय के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

5. श्री चन्द्रमा राय के विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्द कर दी जायेगी।

6. श्री चन्द्रमा राय का मासिक मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 कंडिका–3(6)(i) के तहत् निर्धारित/देय होगा एवं इसकी कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संविदा अवधि में स्थिर रहेगी। निर्धारित मानदेय का भुगतान स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. श्री चन्द्रमा राय को सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

8. श्री चन्द्रमा राय को नियमानुसार आकस्मिक/प्रतिबंधित अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

9. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

29.4.26

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— EST-265/7/2026-SEC_2- ...../— पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक—5233 दिनांक—18.03.2026 के क्रम में सूचनार्थ/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद—सह—निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संयुक्त सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—03/श्री चन्द्रमा राय, सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— EST-265/7/2026-SEC_2-2823/— पटना, दिनांक—29.04.26

प्रतिलिपिः—आई0टी0मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.4.26

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

R.R
29.04.26